क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अन्तर कंवर बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 182/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अन्तर कंवर पत्नी अभयसिंह चौहान पता निवासी पहाड़गज कॉलानी–2, मंडोर रोड़ जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.10.17. में उसके द्वारा (1) श्री अभयसिंह ने दिनांक 30.08.16 को हलका पटवारी चाबा तह. शेरगढ जोधपुर की जनहित में कार्य नहीं करने एवं कार्य करवाने पेटे रिश्वत मांगन की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री राज. सरकार जयपुर को की थी, शासन सचिव महोदय राजस्व जयपुर ने मूल ही शिकायत दिनांक 21.09.16 को श्रीमान् जिलाधीश जोधपुर को भेज दी, इस पर कार्यालय जिलाधीश जोधपुर को कई पत्र लिख कर कार्यवाही की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई अतः आपके कार्यालय में क्या क्या कार्यवाही की, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1577 दिनांक 21.11.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत करवाया कि आवक लिपिक, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी अन्तर कंवर को इस कार्यालय के पत्रांक 1480 दिनांक 25.10.17 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि राजस्व (ग्रुप–5) विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 21.09.16 का कार्यालय की आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को प्रेषित पत्र कार्यालय में आना नहीं पाया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नियत अवधि में सूचित किया जा चुका है अतः कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही जाने से यह अपील इस स्टेज पर निरस्त की जाती है। न्यायहित में इस कार्यालय में पत्रांक 1480 दिनांक 25.10.17 की फोटो प्रति प्राप्त हुई उसकी प्रति, इस आदेश की प्रति के साथ अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	